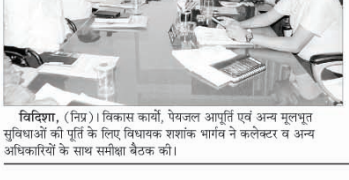

एक नजर

कर्मचारियों के डीए में होगा 3 फीसदी का इजाफा

भोपाल। राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत इजाफे का ऐलान कर सकती है। डीए 9 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। बस इंतजार है तो राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगने का। वित्त विभाग ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेज दिया है। उनके अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। अभी प्रदेश में कर्मचारियों को नौ फीसदी डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। उधर, पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को मांग पत्र भेजा है। गौरतलब है आम चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों का लंबित दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इसे मिलाकर कर्मचारियों का डीए नौ प्रतिशत हो गया है।

शहीद हरीशचंद्र के परिजनों को एक करोड़ की सहायता

भोपाल। छत्तीसगढ़ में विगत पाँच अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद भोपाल निवासी सीआरपीएफ जवान हरीशचन्द्र पाल के परिजनों को मध्यप्रदेश सरकार ने एक करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने शहीद हरीशचन्द्र पाल के अदम्य साहस और वीरता की सराहना करते हुए उनकी शहादत को नमन किया है। शहीद हरीशचन्द्र पाल छत्तीसगढ़ राज्य में 211- बटालियन सीआरपीएफ में तैनात थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के थाना बोरई के जंगली क्षेत्र सालय घाट में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान श्री पाल शहीद हुए।

रूसल्ली साहू में कट्टे की नोंक पर 7 लाख की लूट

विदिशा, (निप्र)। जिले के लटेरी अनुभाग के मुरवास थाना क्षेत्र के ग्राम रूसल्ली साहू में भैयालाल पुत्र गणेशराम शर्मा के घर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने देशी कट्टे से फायर कर 5 लाख 21 हजार रुपए नगदी सहित 50 चांदी के सिक्के व अन्य सोने च ांदी के जेवर लूटकर ले गए। भैयालाल के बेटे की शादी 12 मई को होना थी जो किसी कारणवश नहीं हो सकी। लूट के दौरान बदमाशों और भैयालाल के परिजनों के बीच झूमाझटकी हुई जिसमें परिजनों को चोटें भी आई। घटना की सूचना मिलते ही लटेरी एसडीओपी श्री सिसोदिया एवं मुरवास थाना प्रभारी शहनाज बानो पुलिस बल के साथ रूसल्ली साहू पहुंचे। एफएसएल की टीम एवं पुलिस डॉग की भी मदद ली गई। रूसल्ली निवासी धनराज सिंह ने बताया कि घटना से मुरवास क्षेत्र में भय का माहौल है। इस क्षेत्र में हुई इस बड़ी लूट से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भयभीत है क्योंकि किसान उपज बेचकर नगदी गांव में लाते है जिससे डर सता रहा है।

जिलाबदर का आरोपी विदिशा में घूमते पकड़ा

विदिशा। जिला बदर आरोपी गिलजारसिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी किलेअंदर को विदिशा जिले समेत पड़ोसी जिलों की सीमाओं से बाहर के लिए जिला बदर किया गया था। जिलाबदर के आदेश के बाद भी आरोपी विदिशा मे घूमते पाया गया जिससे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

सिमी मामले में ट्रिब्यूनल में तीसरे दिन भी सुनवाई जारी

सिमी पर प्रतिबंध 2024 बढ़ाया

भोपाल। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के प्रतिबंध को लेकर जबलपुर में मुगलवार को तीसरे दिन भी ट्रिब्यूनल में सुनवाई की जा रही है। इस ट्रिब्यूनल में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता के अलावा प्राधिकरण के अन्य सदस्य सुनवाई कर हैं। इससे पहले सोमवार को सिमी मामले से जुड़े कुछ लोगों ने सुनवाई एक दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। इस पर ट्रिब्यूनल ने सहमति दी। जिसके आधार पर मंगलवार को भी सुनवाई की जा रही है। जबलपुर के एक होटल में रविवार से ट्रिब्यूनल द्वारा सुनवाई की जा रही है। सिमी संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। इस प्रतिबंध को बनाए रखने या निरस्त करने से जुड़ी सुनवाई आयोजित की गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत सिमी पर 1 फरवरी 2019 से जनवरी 2024 तक प्रतिबंध बढ़ाया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस की अध्यक्षता वाली ट्रिब्यूनल ऐसे सभी प्रकरणों को लेकर देश भर में सुनवाई कर रही है। मध्यप्रदेश के बाद देश के अन्य राज्यों में ट्रिब्यूनल जाकर सुनवाई करेगा। वहां भी इसी तर्ज पर उन राज्यों के वास्तविक हालातों व प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। ट्रिब्यूनल के लिए जारी पब्लिक नोटिस में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य देना चाहता है तो वह ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। साक्ष्य देने के लिए उसे शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यह साक्ष्य संबंधित प्रकरणों से जुड़े ही होंगे। यह ट्रिब्यूनल तय करेगा कि सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं।

भोपाल। नौतपा में सूर्यदेव आग उगल रहे है, बिना गमछे-रुमाल लपेटे घर से निकलना मुश्किल है।

दस्तक अभियान की सफलता के लिए बनाए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर : मुख्य सचिव

भोपाल। मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण नियंत्रण, टीकाकरण, टेकहोम राशन और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये घर-घर दस्तक देने के लिये संचालित होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों को समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उन्होंने सभी कलेक्टर्स से कहा है कि 10 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में चलने वाले अभियान के क्रियान्वयन के लिये विकासखण्डों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनायें। प्रत्येक विकासखण्ड में 10 - 10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर गठित करें। प्रत्येक क्लस्टर का एक नोडल अधिकारी बनायें। यह अधिकारी विकासखण्ड और जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क में रहेगा और क्लस्टर में शामिल ग्राम पंचायतों में दस्तक अभियान के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी होगा। किसी भी विभाग के अधिकारी को क्लस्टर का नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान की विशेष ग्राम सभा में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एनजीओ और स्व-सहायता समूह के सदस्यों को भी भागीदार बनायें। इससे अभियान का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। मुख्य सचिव मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान की तैयारियों पर जिला कलेक्टर्स से चर्चा कर रहे थे। कांन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान का प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

जलस्तर 60 से 70 मीटर नीचे पहुंचा-पांसे

भोपाल। मध्य प्रदेश में जल स्त्रोत लगातार सूख रहे हैं, और जल स्तर नीचे जा रहा है। कभी जल स्तर 60 से 70 फुट पर हुआ करता था, जो अब 60 से 70 मीटर नीचे पहुंच गया है। यह खुलासा राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांस ने किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिये जल स्त्रोतों को अक्षुण्य बनाये रखने की जरूरत है। भूमिगत जल भंडारों की स्थिति निर्धारित करने और भू-जल भंडार बढ़ाने के लिये नए-नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। मंत्री पांसे प्रशासन अकादमी में श्पेयजल स्त्रोतों के स्थायित्वश विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य वन संरक्षक आर.एस. मूर्ति ने उदघाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि थे। मंत्री श्री पांसे ने बताया कि पानी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, या यूं कहें कि अनिवार्य शर्त है।

भोपाल के भेल में होगा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण

भोपाल। भेल अब कोयला आधारित प्रोजेक्ट छोड़ कर दूसरे नए सेक्टर्स में कदम रख रहा है। इसमें हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन भी शामिल है। इसके लिए जापान की कंपनी के साथ समझौता किया है। सेना और बुलेट ट्रेन के उपकरणों के निर्माण के लिए भोपाल को प्राथमिकता दी जाएगी।

कांग्रेस सेवादल की प्रदेश व जिला इकाई भंग

सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेज जायेंगे:डॉ. सत्येन्द्र यादव

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला इकाईयों को भंग कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए म.प्र. कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष डॉ. सत्येन्द्र यादव ने बताया कि अ.भा.कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष लालजी देसाई के निदेर्शानुसार मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल की इकाईयों को भंग किया गया है। इसके साथ ही 31 मई को प्रातः 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवादल की एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया है। यह पर्यवेक्षक 31 मई को बैठक में प्राप्त निदेर्शानुसार अपने अपने प्रभार के जिले में पंहुचकर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस सेवादल मुख्यालय को सौपेंगे। तत्पश्चात 20 जून तक नई प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया जायेगा। डॉ. यादव ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश महिला संगठक, यंग ब्रिगेड एवं सेवादल के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने लौटाई सुरक्षा

जवानों की संख्या कम होने से की वजह से हैं नाखुश

विधानसभा के मार्शलों की लगाई ड्यूटी

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पुलिस सुरक्षा लौटा दी है। नाराज प्रजापति ने भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास चार इमली बी-9 बंगले से सभी सुरक्षाकर्मियों को लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा में जवानों की संख्या कम होने की वजह से नाखुश होकर प्रजापति ने ये कदम उठाया है। प्रजापति को अपने पद के हिसाब से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहीं लग रही थी। बता दें पहले के मुताबिक उनके सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी घटाई गई थी। जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पहले भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आगाह किया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी कहा था लेकिन जब इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते उन्होंने पुलिस वालों को लौटा दिया।. फिलहाल उनके निवास पर विधानसभा के मार्शलों की ड्यूटी लगाई गई है।

परेशानी से निजात दिलाने का निर्णय

विदिशा, (निप्र)। समीक्षा बैठक के बाद विधायक शशांक भार्गव, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, सीईओ मयंक अग्रवाल, सीएमओ सुधीर कुमार आदि नगर भ्रमण पर निकले। माधवगंज स्थित मालवीय उद्यान, बाल बिहार, अंग्रेजी शराब की दुकान आदि क्षेत्रों का जायजा लिया। अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर बैठकर शराब पीने से आसपास के दुकानदारों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने का निर्णय लिया। फल सब्जी ठेले वालों को मालवीय उद्यान में शिफट करने समेत अनेक निणयों पर विचार विमर्श कर संभावनाऐं देखी। इसके अलावा माधव उद्यान के पास ओव्हर ब्रिज के एक लेग एवं दूसरा लेग मेडीकल कॉलेज तक निर्माण कराए जाने एवं कंपाजिट भवन के वायपास रोड का भी शीघ्र निर्माण करने, इंद्रा कॉम्पलेक्स की पुलिया में पानी भराने से इंद्रा कॉम्पलेक्स, बस स्टेण्ड व डंडापुरा में पानी भराने की समस्या का अवलोकन किया।

कब्रिस्तान पर अतिक्रमण रोकने की मांग

विदिशा, (निप्र)। जमीयत उर राईन समाज ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि जतरापुरा में राईन समाज की कब्रिस्तान पर कुछ लोग मकान बनाकर अतिक्रमण कर रहे है जिन्हें रोकने की मांग की गई।

टपरिया हटाए जाने पर कलेक्टर से शिकायत

विदिशा। हांसुआ निवासी लक्ष्मीप्रसाद कुशवाह आदि ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि आरोपियों ने उसकी टपरिया को जबरदस्ती हटा दिया और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है।

विधायक ने विकास कार्यों की समीक्षा की

विदिशा, (निप्र)। विकास कार्यों, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए विधायक शशांक भार्गव ने कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला धार (मप्र)

क्रमांक/3370/भू-अर्जन/2019 धार दिनांक 4/4/19

सार्वजनिक सूचना
(मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत)

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में मप्र शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित निम्नानुसार नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कालम क्र. 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कालम नं. 3 एवं 4 अनुसार भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन, बरखेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से भूमि की आवश्यकता है।

अनुसूची
(क) ग्राम- टोल (ख) तहसील-कुक्षी (ग) जिला- धार (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टर

अ. क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्रय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4
1	केलसिंह पिता पातल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम टोल	120/9	0.415
	योग		0.415 हेक्टर

2. उपरोक्त कृषकों की भूमि बरखेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से शासन पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सावर्जनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(दीपक सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मप्र शासन राजस्व विभाग जिला धार (मप्र)

जी 11293/19

तिरंगा राष्ट्र की शान है इसे प्लास्टिक से न बनाये

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा (मप्र)

E-mail add.- deo.agar@mpexise.org Phone 07362-259521)

आगर मालवा दिनांक 27.05.2019

वाहन किराये पर लेने बाबत विज्ञप्ति

सर्व साधारण एवं टेक्सी परमिट धारिता वाले वाहन स्वामी/ट्रेवेल्स एजेन्सी के स्वामी की विशेष जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि जिला आगर मालवा (मप्र) में आबकारी अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु वर्ष 2019-2020 हेतु अर्थात (दिनांक 01.06.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए तीन (03) चार पहिया वाहनों की आवश्यकता है। अन्य शर्त एवं निर्बन्धनों की जानकारी बी.एस.एन.एल. रोड कन्या माध्यमिक विद्यालय के सामने, आगर मालवा स्थित आबकारी कार्यालय में कार्यालयीन दिवस/समय में आकर प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक टेक्सी परमिट धारिता वाले वाहन स्वामी/ट्रेवेल्स एजेन्सी स्वामी दिनांक 03.06.2019 को दोपहर 13.00 बजे तक बंद लिफाफे में वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सहित निविदा प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदा इसी दिनांक 03.06.2019 को ही दोपहर 14.00 बजे निविदाकर्ता के समक्ष खोली जावेगी। न्यूनतम निविदा राशि वाले वाहन स्वामी का वाहन उपरोक्त अवधि हेतु अनुबंधित किया जावेगा। वाहन अनुबंधित करने सम्बंधी समस्त अधिकार जिला आबकारी अधिकारी जिला आगर मालवा (मप्र) के रहेंगे।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार रहेगी

शर्त

1. अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु किराये पर लिये जाने वाला वाहन का पंजीयन वर्ष 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिये।
2. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिये जावेंगे।
3. वाहन के ईंधन/ड्रायवर/मेंटिनेंस संबंधी व्यय एवं सभी प्रकार के देय टैक्स वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेंगे तथा वाहन 24 घंटे के लिये उपलब्ध कराना होगा।
4. वाहन मालिक को शासन द्वारा निर्धारित मासिक किराया 800 किमी तक राशि रुपये 12500/- एवं 800 किमी से अधिक 2500 किमी तक (प्रति किलोमीटर के वेरिएबल चार्ज सहित) अधिकतम कुल राशि 30000/-रुपये का भुगतान किया जावेगा।
5. वाहन स्वामी को स्वयं का आयकर पेन नंबर भी प्रस्तुत करना होगा एवं आयकर अधिनियम की धारा 194 सी अनुसार किराया भुगतान राशि पर टीडीएस कटौत्रा की राशि नियमानुसार पृथक से जमा करनी होगी।
6. विभाग द्वारा अनुबंधित शर्तों की लिखित स्वीकृति 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर देने के उपरांत ही वाहन किराये पर लिया जा सकेगा।
7. वाहन किराये पर लेने संबंधी अन्य शर्तों की जानकारी एवं विवरण अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
8. आबकारी आयुक्त द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के मासिक किराया राशि में परिवर्तन एवं संशोधन होने पर संशोधित राशि मान्य होगी।
9. वैध ड्रायविंग लायसेंस धारिता वाले एवं सदव्यवहार तथा आचरण वाले व्यक्ति को ही अनुबंधित वाहन चालन हेतु रखना होगा।

(बी.एल.दांगी)
जिला आबकारी अधिकारी
जिला आगर मालवा

GORANI INDUSTRIES LIMITED
Regd. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Indore (M.P.)
CIN:- L28121MP1995PLC009170 website- www.goraniindustries.com
email-id- gorani.industries@yahoo.com Telephone No.- 0731-2723201 Fax- 2723200
Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	Total Income from Operations	516.02	508.48	2041.53	2031.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items#)	25.05	9.95	82.15	78.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	25.05	9.95	82.15	78.08
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	14.37	9.95	56.46	78.08
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	20.51	14.72	62.60	82.85
6	Equity Share Capital	487.51	506.13	487.51	506.13
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings per share (in Rs.) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic (b) Diluted	0.29	0.27	1.09	1.44

Note:-
A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company' s Website www.goraniindustries.com.
B. The impact on net profit/(Loss), total comrehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note: N.A.
C. # - Exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.

Place: Indore
Date: 28.05.2019

For & On Behalf of the Board
Anil Gorani - (Whole Time Director) - DIN: 00055540
Sanjay Gorani (Managing Director) - DIN: 00055531

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड, मुसाखेडी, इंदौर

फोन नंबर 0731-2710152 eephedind@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक-01/एस.ए.सी./टैक्सी वाहन/2019-20इंदौर दिनांक 25.05.2019 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर हेतु नॉन एसी डीजल निरीक्षण वाहन वर्ष 2018 के पश्चात के माडल की वाहन (सियाज/इटियोस) I इसके समकक्ष जो टैक्सी वाहन के रूप में पंजीबद्ध हो, वाहन मालिकों से टैक्सी वाहन किराये दर पर लेने हेतु दिनांक 06.06.2019 कार्यालयीन समय तक सीलबंद निविदायें रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट डाक से आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 07.06.2019 को दोपहर 03.30 बजे उपस्थित वाहन मालिकों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी।

समूह क्रमांक	वाहन अनुलग्न हेतु कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर	नॉन-एसी डीजल टैक्सी वाहन (सियाज/इटियोस) या इसके समकक्ष	रु. 1000/-	10000/-

निविदा प्रपत्र दिनांक 06.06.2019 तक कार्यालयीन समय में मूल्य रुपये 1000.00 प्रति समूह पति निविदा फार्म कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक टैक्सी वाहन मालिक निम्न विधि से अपनी निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेजे-
1. प्रथम लिफाफे में अमानती राशि रुपये 10,000.00 का एफडीआर जो कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड इंदौर के पक्ष में बंधक हो, रखी जावेगी।
2. दूसरे लिफाफे में टैक्सी वाहन के पंजीयन, इन्सोरेन्स, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी होने में रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाणित दस्तावेज रखे जावेंगे।
3. तीसरे लिफाफे में टैक्सी वाहन को प्रतिमाह मासिक किराये पर देने संबंधी निविदा फार्म जो पूर्णतः भरी हो, रखा जावेगा।
तीनों लिफाफों को एक लिफाफे में रखकर तथा लिफाफे के अंदर रखे गये लिफाफों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निर्धारित दिनांक 07.06.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है।

जी 11307/19

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड, इंदौर

तिरंगा राष्ट्र की शान है इसे प्लास्टिक से न बनाये।